संख्या– 878 / नौ–9–2023–89ज / 2001

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 17 मई, 2023

विषय–प्रदेश में स्थापित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0), वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (डब्लू0टी0पी0), संबंधी परियोजना के संचालन एवं रख–रखाव तथा नागर निकायों में निराश्रित श्वानों की जनसंख्या में रोकथाम हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से राज्य स्तरीय निधि का गठन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–8 / 3122 / 317(4) / पंचम रा0वि0 आ0 / 2023–24, दिनांक–21.04.2023 एवं संख्या–8 / 3155 / 317(4) / पंचम रा0वि0 आ0 / 2023–24, दिनांक–10.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पंचम राज्य वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि को प्रदेश के समस्त नागर निकायों के मध्य आवंटित किये जाने एवं निदेशालय स्तर पर रोके जाने के संबंध में यथोचित दिशा–निर्देश उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–986 / नौ–9–21–89ज / 2001, दिनांक–14.06.2021 एवं शासनादेश संख्या–739 / नौ–9–22–89ज / 2001, दिनांक–17.06.2022 को अवक्रमित करते हुये शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0), वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (डब्लू0टी0पी0), संबंधी परियोजनाओं के संचालन एवं नागर निकायों में निराश्रित श्वानों की जनसंख्या के रोकथाम हेतु एनिमल बर्थ कण्ट्रोल सेन्टर (ए0बी0सी0) की स्थापना / अनुरक्षण तथा विद्युत देयको के भुगतान हेतु नगरीय स्थानीय निकायों को उपलब्ध करायी जाने वाली पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि में से कटौती करते हुये निम्नलिखित विवरण के अनुसार राज्य स्तरीय निधि बनाये जाने का निर्णय लिया गया है:–

तालिका–1

(धनराशि करोड़ रूपये में)

क्रम0 सं0	योजना	प्रस्तावित राज्य स्तरीय निधि की धनराशि
1.	एस0टी0पी0 का संचालन एवं रख रखाव	350.00
2.	डब्लू0टी0पी0 का संचालन एवं रख रखाव	75.00
3.	निराश्रित श्वानों के बन्ध्याकरण हेतु "एनिमल बर्थ कण्ट्रोल योजना"	15.00
	योग	**440.00**

(रू0 चार अरब चालीस करोड़ मात्र)

3. उक्त के अतिरिक्त विद्युत मार्ग प्रकाश एवं जल कल, विद्युत (जल संस्थान) तथा अन्य मदों में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कटौती का भी निर्णय लिया गया है, जिसका संशोधित विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–2

(धनराशि करोड़ रूपये में)

क्रम0 सं0	योजना	प्रस्तावित राज्य स्तरीय निधि की धनराशि
1.	पालिका केन्द्रीयित सेवा के अधिकारी/कर्मचारी के पेंशन भुगतान।	140.00
2.	विद्युत मार्ग प्रकाश जलकल, जल संस्थान, जल निगम व निकायों में स्थित पेयजल की व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल सी0डब्लू0आर0 के विद्युत देय।	1575.00
3.	पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की कटौती।	84.58
4.	मेसर्स टोरेन्ट पॉवर (आगरा)	24.00
5.	मेसर्स त्रिवेणी (आगरा)	15.00
	योग	**1838.58**
	(तालिका–1 एवं तालिका–2 का योग)	**2278.58**

(रू0 बाइस अरब अठहत्तर करोड़ अठ्ठावन लाख मात्र)

4. सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) के मद में रोकी जा रही धनराशि से गठित राज्य स्तरीय निधि का उपयोग एस0टी0पी0 के दीर्घकालिक रख–रखाव, संचालन व प्रबंधन के मद में किया जायेगा उक्त धनराशि शासनादेश संख्या–504/नौ–5–2020–394सा0/2018, दिनांक–03.02.2020 के माध्यम से प्रदेश में स्थापित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) व इससे संबंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक रख–रखाव, संचालन, प्रबंधन एवं विद्युत व्यय आदि हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गयी व्यवस्था के अनुसार व्यय की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त एस0टी0पी0 संचालन एवं रख–रखाव मद हेतु प्रस्तावित कटौती रू0 350.00 करोड में से वन सिटी वन आपरेटर अन्तर्गत निजी आपरेटरों के विद्युत बिलों एवं सृजित परिसम्पत्तियों के बिल भुगतान के साथ ही उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रदेश में संचालित की जा रही एस0टी0पी0 एवं संबंधित संरचनाओं के अन्तर्गत विद्युत बिलो एवं अनुरक्षण आदि हेतु आवश्यकतानुसार निर्धारित नियमों के अन्तर्गत भुगतान किया जा सकेगा। उक्त परिसम्पत्तियों को OCOP व्यवस्थान्तर्गत आच्छादित किये जाने के बिन्दु पर नियमानुसार कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

5. उक्त तालिका–1 के बिन्दु संख्या–02 में उल्लिखित कटौतियों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में निकायों को अंतरित करने तथा उपर्युक्त तालिका–1 एवं 2 में उल्लिखित किसी एक मद की धनराशि समाप्त होने पर तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत अन्य मदों से धनराशि अंतरित करने एवं उक्त अंतरित धनराशि की प्रतिपूर्ति संबंधित मद में राज्य वित्त आयोग की आगामी किश्तों की धनराशि से सुनिश्चित कर ली जाए। डब्लू0टी0पी0 एवं ए0वी0सी0 मद में आवश्यकता पडने पर इसी प्रकार धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों से उपलब्ध धनराशि से नगरीय निकाय निदेशालय स्तर से सुनिश्चित कर लिया जायेगा। तदनुसार व्यावर्तित कर भुगतान/व्यय की धनराशि की सूचना शासन को तत्काल निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

6. यह भी निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक–03.02.2020 द्वारा गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त जारी होने के उपरान्त शासन स्तर से प्रत्येक बार आदेश निर्गत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। वरन् निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रम में नियमानुसार धनावंटन उ0प्र0 जल निगम, (नगरीय) को कर दिया जायेगा।

कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णयों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **परियोजना निदेशक**, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन/मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन/मिशन निदेशक, अमृत।
2. **प्रबन्ध निदेशक**, उत्तर प्रदेश जल निगम, (नगरीय) लखनऊ।
3. **समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी**, उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त नगर आयुक्त**, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत** उत्तर प्रदेश (निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से)।
6. **वित्त (व्यय–नियत्रंण) अनुभाग–09**/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–02/वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग–01।
7. **गार्ड फाइल**/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।